



कार्यालय ज्ञापन सं.: आईसीएमआर/अपर महानिदेशक कार्यालय/कार्यालय ज्ञापन/2026/ई.सं.269549)

दिनांक: 20-02-2026

## कार्यालय ज्ञापन

यह इनोवेशन एक्सीलेंस इंडिकेटर्स के संस्थान-स्तरीय मूल्यांकन के संबंध में है। इस संबंध में परिषद के महानिदेशक ने परिषद के संस्थानों के लिए संशोधित इनोवेशन एक्सीलेंस इंडिकेटर्स (IEI) विश्लेषण की समीक्षा की है। इस संशोधित रूपरेखा को प्रकाशन के समतुल्य (PE) स्कोर करने के साथ-साथ रणनीतिक रूप से शामिल किया है, ताकि अनुसंधान के परिणामों का अधिक गहनता से और निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। इस विश्लेषण में किए गए प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैं:

- (i) बेहतर बेंचमार्किंग (मानक निर्धारण) के लिए संस्थानों की श्रेणियों का पुनःवर्गीकरण।
- (ii) अप्रासंगिक संकेतकों को हटाना ताकि ध्यान केंद्रित किया जा सके।
- (iii) अस्थायी कर्मचारियों को बाहर करना, केवल स्थायी वैज्ञानिकों को अनुसंधान एवं विकास (R&D) कर्मिक के रूप में शामिल करना।

2. इस संशोधित विश्लेषण के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ है कि परिषद के विभिन्न संस्थानों के स्कोर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इन परिणामों को पहले ही भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है और निकट भविष्य में ये प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में प्रस्तुत किए जाने के लिए अधिसूचित है।

3. प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों को समग्र और अद्यतन की तारीख सुनिश्चित करने के लिए, अपर महानिदेशक (इंट्राम्यूरल) डॉ. संघमित्रा पति ने निदेश दिया है कि परिषद के सभी संस्थान इन इनोवेशन एक्सीलेंस इंडिकेटर्स के आधार पर स्व-मूल्यांकन करें।

4. सभी निदेशक/प्रभारी निदेशक से अनुरोध है कि वे अपने संस्थान से संबंधित परिणामों को ही संकलित करें और अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट परिषद मुख्यालय के इंट्राम्यूरल प्रभाग, को 31 मार्च, 2026 से पहले प्रस्तुत करें।

यह अपर महानिदेशक (इंट्राम्यूरल) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

जयबीर सिंह  
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

सेवा में,

परिषद के सभी संस्थानों/केंद्रों के निदेशक/प्रभारी निदेशक।

प्रतिलिपि:

1. परिषद के महानिदेशक के निजी सचिव।
2. परिषद के अपर महानिदेशक/वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव।
3. उप महानिदेशक (प्रशा.), परिषद मुख्यालय।